Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

पत्रांकः पू.वि.वि. / सम्बद्धता / 03–(तीन) / 2015 / 844
दिनांक : 16-5-15

सेवा में,

प्रबन्धक,
संत लखनदास (नागा बाबा) पचोतर महाविद्यालय,
तपेश्वरी नगर, मरदह, गाजीपुर।

विषयः— संत लखनदास (नागा बाबा) पचोतर महाविद्यालय, तपेश्वरी नगर, मरदह, गाजीपुर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ता पद पर चयनित अभ्यर्थियों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 11.05.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने **शासनादेश दिनांक–09 मई, 2000** के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि **अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा** तथा **इनके अंक–पत्रों / प्रमाण–पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें।** महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत् / अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता का नाम	जन्म–तिथि	शैक्षिक अर्हता	पदनाम
श्री अमित कुमार	श्री शिवराम सिंह	02.06.1985	एम.एड., नेट	बी0एड0 (प्रवक्ता)
श्री प्रभुनाथ यादव	श्री रामसूरत यादव	25.01.1976	एम.एड., नेट	बी0एड0 (प्रवक्ता)
श्री सदानन्द सिंह	श्री हरिशंकर सिंह	10.07.1978	एम.एड., नेट	बी0एड0 (प्रवक्ता)
अलका पाल	श्री शिवराम सिंह पाल	07.06.1984	एम.एड., नेट	बी0एड0 (प्रवक्ता)
श्री विनय कुमार सिंह	श्री भारत सिंह	12.05.1986	एम.एड., नेट	बी0एड0 (प्रवक्ता)

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा **अध्यापकों के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। तथा AISHE के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन करा लें, एवं उक्त प्रवक्ताओं का भौतिक सत्यापन तीन माह के अन्दर करा लिया जाय।उक्त अनुमोदन बी0एड0 स्थायी समिति के परीक्षण के अन्तर्गत रहेगा।**

भवदीय,

कुलसचिव